कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ 52(162) एआरबी/सानि/अस/अनु. 7/डी–1693 दिनांक :–20/9/2016

–: परिपत्र :–

विभागीय न्यायिक प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय में अपील/रिट किये जाने पर स्थगन आदेश/अंतरिम आदेश पारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त स्थगन आदेश अथवा एक निश्चित समयावधि में आदेशित राशि जमा कराने की शर्त के साथ स्थगन आदेश पारित किया जाकर उक्त तिथि तक राशि जमा न होने पर स्थगन आदेश निष्प्रभावी होने के आदेश पारित किये जाते हैं। ऐसे समयबद्ध आदेशों की पालना निर्धारित समय से पूर्व की जाना अपेक्षित होता है, परंतु यह देखने में आया है कि विभिन्न खण्ड कार्यालयों द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करने में विलंब कर दिया जाता है एवं प्रस्ताव/चैक लिस्ट नैत्यक रूप से डाक द्वारा भिजवाई जाती है, जिस पर भी अत्यावश्यक या समयावधि संबंधी कोई चिह्न अंकित नहीं होता। ऐसी स्थिति में पत्रावलियों में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने व कोषालय से बिल पास करवाने आदि कार्यवाही में समय लगना संभाव्य है। इस कार्यवाही के दौरान ही न्यायालय द्वारा निर्देशित समयावधि व्यतीत हो जाती है और विभाग के हित में पारित स्थगन आदेश का लाभ नहीं मिल पाता। फिर पुनः अवधि वृद्धि हेतु प्रयास करने होते हैं। यह स्थिति विभाग के लिए उचित नहीं है। वित्त विभाग ने भी ऐसे समयबद्ध प्रकरणों की पत्रावली निर्धारित समय से कम से कम 7 दिवस पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिये हैं।

अतः सभी खण्ड कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि इस प्रकार के कोई भी समयबद्ध आदेश मान. न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में पारित किये जावें तो उनकी पालना में प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के मामले व्यक्तिशः प्रयास करते हुए संदेश वाहक के द्वारा भिजवाये जाऐं एवं कम से कम 15 दिवस पूर्व प्रकरण भिजवाया जावें जिससे कि वित्त विभाग को समय पर प्रकरण भिजवाया जाकर स्वीकृति प्राप्त की जा सके। विलंब होने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

इन निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाऐं।

(शिव लहरी शर्मा)
मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव सानिवि, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव, सानिवि, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (एस0एस0, बिल्डिंग, एन0एच0, पथ, पीएमजीएसवाई) सानिवि, राज0 जयपुर।
4. अति0 मुख्य अभियंता, सानिवि, संभाग–समस्त।
5. अधीक्षण अभियंता एवं तकनिकी सहायक प्रथम, सानिवि, मुख्य अभियंता कार्यालय, राज0 जयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, सानिवि, वृत–समस्त।
7. अधिशाषी अभियंता, सानिवि, खण्ड–समस्त।
8. गार्ड फाईल।

(शिव लहरी शर्मा)
मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव